

समक्ष- उपनिदेशक गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी/ गोविन्द वन्य जीव विहार पुरोला  
अथवा  
प्रभागीय वन अधिकारी

**-:: शपथ पत्र ::-**

हमारी ट्रेकिंग एजेन्सी ----- पता-----  
स्वामी श्री/श्रीमती -----द्वारा निम्न लिखित शर्तों  
का अनुपालन किया जायेगा।

- 1- ट्रेकिंग के दौरान हमारे ट्रेकिंग दल के द्वारा किसी भी वन्य प्राणियों / वनस्पतियों को नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा।
- 2- ट्रेकिंग के दौरान हमारे ट्रेकिंग दल के द्वारा कोई पौधा या उसका अंश को नष्ट य अपने साथ नहीं लाया जायेगा।
- 3- ट्रेकिंग रूट में हमारे दल द्वारा किसी भी प्रकार का कूड़ा करकट नहीं बिखेरा जायेगा।
- 4- ट्रेकिंग के दौरान हमारे दल द्वारा भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1927 एवं भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यथा संसोधित 2006 का उल्लंघन नहीं किया जायेगा ।
- 5- ट्रेकिंग पर जाने से पूर्व हमारे दल द्वारा आरक्षित वन क्षेत्र में प्रवेश करने हेतु नियमानुसार कैंपिंग व प्रवेश शुल्क रेंज कार्यालय गंगोत्री रेंज में जमा कराया जायेगा ।
- 6- हमारे दल द्वारा कोई भी डाक्यूमेंट्री फिल्मांकन कार्य नहीं किया जायेगा।
- 7- किसी प्रकार की कोई घटना घटित होती है तो इसमें वन विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 8- ट्रेकिंग दल स्वयं अपने संसाधनों से अपने बचाव व सुरक्षा के लिये जिम्मेदार होगा।
- 9- माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के पारित पी० आई० एल० आदेश संख्या 123/2014 दिनांक 21.08.2018 के अनुपालन में ट्रेकिंग दल किसी भी दशा मे बुग्यालों में रात्री निवास / कैम्पिंग नहीं करेगा । ऐसा करने पर वन विभाग द्वारा उचित कार्यावाही सुनिश्चित की जाए ।
- 10- हमारे ट्रेकिंग दल द्वारा आरक्षित वन में प्रवेश हेतु नियमानुसार शुल्क का भुगतान किया जायेगा।
- 11- हमारे ट्रेकिंग दल द्वारा आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र लाकर प्रस्तुत किया जायेगा।
- 12- यह कि ट्रेकिंग तथा माउंटेनियरिंग के रास्ते में यदि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी ट्रेकिंग दल / ट्रेकिंग में जाने वाले सदस्यों / ट्रेकिंग एजेन्सी / स्थानीय ट्रेकिंग एजेन्सी की स्वयं की होगी जिला प्रसासन , पर्यटन विभाग तथा वन विभाग इसके लिये जिम्मेदार नहीं होंगे।
- 13- हमारे ट्रेकिंग दल द्वारा वन विभाग द्वारा प्राप्त अनुमति आदेश की शर्तों का पालन किया जायेगा।
- 14- यह कि ट्रेकिंग एवं पर्वतारोहण दल के लिये दिनांक ----- से दिनांक----- तक टूर एवं ट्रेकिंग एवं माउन्टेनियरिंग दल के लिये वैध माना जायेगा ।

मैं तस्दीक करता हूँ कि उपरोक्त व्यपथ पत्र के पैरा नं0 1 से 14 तक सही एवं सत्य है।

ह० शपथकर्ता